न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 100 / 2001

1 श्रीराम पुत्र श्री चिरंजी जाति धानक निवासी किशनपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 14.05.2001
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी उनवानी
मुकदमा श्रीराम बनाम राजस्थान सरकार दावा
घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान टिनेन्सी एक्ट मु.नं. 117 / 99 फैसला दिनांक
14.05.2001

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र सिंह निर्वाण, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 11/7/25

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 117/99 में पारित निर्णय दिनांक 14.05.2001 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम किशनपुरा की भूमि खसरा नम्बर 344 में वादी के पिता को अलॉट भूमि 5 बीघा के अनुपात में हाल खसरा नम्बर 578/533 में 1.25 हैक्टेयर की खातेदारी घोषित करने एवं गैर खातेदारी से खातेदार दर्ज करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ग्राम किशनपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज. स्थित भूमि खसरा नम्बर 344 रकबा 5 बीघा भूमि वादी/आवेदक के पिता को दिनांक 28.09.1970 को आवंटित कर अपीलान्ट के पिता को उसी समय कब्जा दे दिया गया था। अपीलान्ट के पिता के पक्ष में आदेश अलोटमेन्ट की प्रति संलग्न है। वादी के पक्ष में उक्त वर्णित भूमि की पास बुक भी जारी कर उक्त प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 344 मी. रकबा 5 बीघा पुख्ता की दी गई, जिसमें खाता संख्या 104 के अनुसार उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता के नाम से खातेदारी में दर्ज कर दी गई। पासबुक की प्रति संलग्न है। हाल बन्दोबस्त में अपीलान्ट के पिता के नाम से अलोटशुदा भूमि गत खसरा नम्बर 344 के नये खसरा नम्बर 578/533 रकबा 0.83 हैक्टेयर वादी अपीलान्ट के पिता के नाम से भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पर्चा जारी किया गया। उक्त विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 344 रकबा 5 बीघा को हैक्टेयर में परिवर्तित करने पर 1.25 हैक्टेयर बनती है मगर हाल बन्दोबस्त में 0.83 हैक्टेयर भूमि ही अपीलान्ट के पिता के नाम से दर्ज कर 0.42 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज होकर आई। हाल जमाबन्दी में खाता संख्या 142 में गत खसरा नम्बर 344 के खसरा नम्बर 578/533 रकबा 0.83 हैक्टेयर जमाबन्दी संवत 2054 से 2057 में अपीलान्ट की गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई है, जबकि उक्त भूमि अपीलान्ट की खातेदारी की है। इस प्रकार रकबा 0.42 हैक्टेयर कम कर दर्ज कर भूमि सहवन से खातेदारी की बजाय गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई है, जो दुरूस्ती होने योग्य है, इन आराजी से संबंधित अन्य कोई वाद लंबित नहीं है। विवादित भूमि गैर खातेदारी में दर्ज रहने व रकबा कम दर्ज होने से वादी को हकतलफी है, उल्लेखनीय

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है कि अपीलान्ट 1.25 हैक्टेयर भूमि पर काबिज काश्त है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत गवाह पी.डब्ल्यू1 श्रीराम, पीडब्ल्यू 2 बनवारी, पी.डब्ल्यू 3 हरिराम के बयानो पर गौर न कर निर्णय देने में कानूनी भूल की है। वादी उक्त भूमि को आंवटन जमाबन्दी प्रदर्श–1 जमाबन्दी प्रदर्श–2 आवंटन हो प्रति प्रदर्श–3ए, पासबुक प्रदर्श–4 ए व पर्चा प्रदर्श–5 ए पर गौर न करने निर्णय देने में कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह लिख देना कि वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख से स्पष्ट नहीं है कि 0.42 हैक्टेयर भूमि किस खसरा नम्बर में शामिल हुई है तथा इस बिना पर वादी का दावा खारिज कर दिया जो विरूद्ध कानून है, 0.42 हैक्टेयर भूमि कैसे कम दर्ज हुई इसका जवाब प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को देना था यह ड्यूटी वादी की नहीं थी। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2025 से 2028 प्रदर्श–1, 2054 से 57 प्रदर्श–2, आवंटन आदेश प्रदर्श–3 ए, पासबुक फोटो प्रति प्रदर्श–4 ए, फोटो प्रति नोटिस पर्चा भू–प्रबंध प्रदर्श–5 ए प्रस्तुत किये है। इस राजस्व रिकार्ड में वादी पासबुक एवं जमाबंदी में गैर खातेदार दर्ज है। साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी के नाम दर्ज रकबे में से 0.42 हैक्टेयर भूमि कम होकर हाल खसरा नम्बर 578/533 में शामिल होने का तथ्य साबित नहीं है। इसके अभाव में वाद वादी साबित नहीं होने से विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2025 से 2028 प्रदर्श–1, 2054 से 57 प्रदर्श–2, आवंटन आदेश प्रदर्श–3 ए, पासबुक फोटो प्रति प्रदर्श–4 ए, फोटो प्रति नोटिस पर्चा भू–प्रबंध प्रदर्श–5 ए प्रस्तुत किये है। इस राजस्व रिकार्ड में वादी पासबुक एवं जमाबंदी में गैर खातेदार दर्ज है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा रकबे की कमी बेसी एवं गैर खातेदारी से खातेदारी का अनुतोष चाहा गया है। ऐसे प्रकरणों में विधि अनुसार विचारण न्यायालय को भूमिधारी तहसीलदार से तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिए। वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रावली पर होने पर ही प्रकरण की सही स्थिति का आंकलन किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने मौका रिपोर्ट प्राप्त किये बिना वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तहसीलदार से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 11/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

( अनिल कुमार II )
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर